फाइल नं0-71-3099/169/2021-03

91/2022/I/175734/2022

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
शाहजहॉपुर।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक 08 जून, 2022**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, शाहजहॉपुर में ऑक्सीजन गैस पाइप लाइन कार्य हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-प्रधानाचार्य/ऑक्सीजन पाइप लाइन/2021-22/541, दिनांक 08.02.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, शाहजहॉपुर में ऑक्सीजन गैस पाइप लाइन कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुए धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, शाहजहॉपुर में ऑक्सीजन गैस पाइप लाइन कार्य हेतु शासनादेश संख्या-93/2021/ई-1669462/71-3-2021-, दिनांक 16.07.2021 द्वारा अनुमोदित लागत रू0 319.75 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 159.87 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, शाहजहॉपुर में ऑक्सीजन गैस पाइप लाइन कार्य हेतु अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत पूॅजीलेखा पक्ष में मेडिकल कालेज, शाहजहॉपुर हेतु मानक मद 24-वृहद निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 159.88 लाख (रू0 एक करोड़ उनसठ लाख अट्ठासी हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. आई0आई0टी0, कानपुर द्वारा किये गये निरीक्षण में प्रश्नतगत निर्माण कार्य में इंगित सुधार कार्य को प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्ण करा लिया जायेगा।
2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30.12.2021 एवं शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022/231/2022, दिनांक 29.03.2022 तथा शासनादेश संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022/231/2022, दिनांक 07.06.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियॉ तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत पूर्ण कराये जाने की जिम्मेदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
4. प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्यय योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। प्रस्तावित कार्य की दुरावृत्ति न हो रही हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
6. प्रायोजना में प्रस्तावित कार्यों/स्थापना सम्बन्धी कार्य की डुप्लीकेसी को रोकने की दृष्टि से निर्माण ईकाई/प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत था और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
7. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
8. मूल शासनादेश संख्या-93/2021/ई-1669462/71-3-2021-, दिनांक 16.07.2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,59,88,000 (रुपये एक करोड़ उनसठ लाख अट्ठासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031058100 मेडिकल कालेज, शाहजहाँपुर मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक- 30 दिसंबर, 2021 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के शासनादेश संख्या: 5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक- 29 मार्च 2022 मे प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

संख्या/ तद्दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चि0शि0 एवं प्रशि0, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आई0सी0, कानपुर।
6. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, शाहजहॉपुर।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, शाहजहॉपुर।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in